रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 918] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2002/कार्तिक 3, 1924

No. 918] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2002/KARTIKA 3, 1924

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2002

का.आ. 1128(अ).—अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 185 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 ठ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल, 1994 को जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ), का.आ. 325(अ), का.आ. 326(अ), और का.आ. 327(अ) के द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 243 ट के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, श्री ऋषिदेव कपूर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों के साझा निर्वाचन आयोग में संयुक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 725(अ) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "श्री पचाऊ रोहमिंगथंगा को 25-10-1996 से नियुक्त करते हैं", शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "श्री ऋषि देव कपूर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 25-10-2002 से नियुक्त करते हैं," शब्द, अंक, अक्षर एवं कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू-11022/1/2002-यू.टी.एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल अधिसूचना, दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 की का.आ. 725 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में उसमें दिनांक 25-10-1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 742(अ) के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2002

S.O. 1128 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 243 K of the Constitution, as modified by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs numbers S.O. 324 (E), S.O. 325(E), S.O. 326(E) and S.O. 327(E), all of dated the 23rd April, 1994 issued in exercise of the powers conferred by the proviso to article 243 L of the Constitution, read with Section 185 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (1 of 1994), the President is pleased to appoint Shri Rishi Dev Kapur, IAS (Retired) as the common Election Commissioner to the common Election Commission for the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O.725(E) dated 4th October, 1994 (herein referred to as the said notification), namely :—

In the said notification for the words, figures, letters and brackets "Appoint with effect from 25-10-1996 Shri Pachau Rohmingthanga, IAS (Retd.)", the words, figures, letters and brackets "appoint Shri Rishi Dev Kapur, IAS (Retired) with effect from the 25th day of October, 2002" shall be substituted.

[F. No. U-11022/1/2002-UTL]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 725(E) dated 4th October, 1994 and subsequently amended vide number S..O. No. 742(E) dated 25-10-1996.

3281 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.